कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923

(कर्मकार प्रतिकर अधिनियम (संशोधन) एक्ट 2009 (RBE 61/11) द्वारा यथा संशोधित)

1- यह अधिनियम कर्मकार प्रतिकर अधिनियम (अब कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम), 1923 कहलाता है तथा सम्पूर्ण भारत में 01 जुलाई 1924 से लागू हुआ।

2- परिभाषाऐं :–

(i) आयुक्त (Commissioner) : आयुक्त शब्द से अभिप्राय कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त से होगा जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

(ii) नियोजक (Employer) : के अन्तर्गत कोई व्यक्ति या निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं और नियोजक का कोई प्रबन्ध अभिकर्त्ता (Manager) और मृत नियोजक का विधिक प्रतिनिधि आता है और जबकि कर्मचारी की सेवायें उस व्यक्ति द्वारा जिसके साथ कर्मचारी ने सेवा या शिक्षुता (Apprenticeship) की कोई संविदा (Contract) की है, अन्य व्यक्ति को अस्थायी तौर पर उधार दे दी गई है या भाड़े पर दी गई है वहॉ नियोजक से (जब तक वह कर्मचारी उसके लिए काम करता रहता है) तात्पर्य वह अन्य व्यक्ति है।

(iii) अप्राप्तवय अवयस्क (Minor) : अवयस्क से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अट्ठारह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है।

(iv) आंशिक निःशक्तता (Partial Disablement) : जहॉ निःशक्तता अस्थायी प्रकार की है वहॉ ऐसी निःशक्तता से तात्पर्य है, जिससे कर्मचारी उस नियोजन में उपार्जन सामार्थ्य (Earning Capacity) कम हो जाती है, जिसमे वह उस दुर्घटना के समय (जिसके परिणामस्वरूप निःशक्तता हुई) लगा हुआ था और जहॉ कि निःशक्तता स्थायी प्रकार की है वहॉ ऐसी निःशक्तता से तात्पर्य है, जिससे हर ऐसे नियोजन में उसकी उपार्जन सामार्थ्य कम हो जाती है, जिसे ग्रहण करने के लिए वह उस समय समर्थ था।

(v) पूर्ण निःशक्तता (Total Disablement) : से ऐसी निःशक्तता से तात्पर्य है, चाहे वह अस्थायी प्रकार की हो या स्थायी प्रकार की, जो किसी कर्मचारी को ऐसे सब काम के लिए असमर्थ कर देती है, जिसे वह उस दुर्घटना के समय (जिसके परिणामस्वरूप ऐसी निःशक्तता हुई थी) करने में समर्थ था।

(vi) मजदूरी (Wages) : के अन्तर्गत किसी यात्रा भत्ते से या किसी यात्रा सम्बन्धी रियायत के मूल्य से या कर्मचारी के नियोजन द्वारा किसी पेंशन या भविष्य निधि में दिये गये अंशदान से या कर्मचारी के नियोजन की प्रकृति के कारण उस पर हुए किन्हीं विशेष व्ययों को पूरा करने के लिए उसे दी गई किसी राशि से भिन्न ऐसा विशेषधिकार या फायदा आता है, जो धन के रूप में प्रॉकलित (Estimated) किया जा सकता है।

(vii) कर्मचारी (Employee) : से (रेलवे के संदर्भ में) कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो–

(i) भारतीय रेल अधिनियम 1989 की धारा 2 की उपधारा (34) में यथा परिभाषित ऐसा रेल सेवक है, जो किसी रेल के किसी प्रशासनिक जिला या उपखण्ड कार्यालय में स्थायी रूप से नियोजित नहीं है और किसी ऐसी हैसियत में नियोजित नहीं है, जो अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट है। भारतीय रेल अधिनियम 1989 की धारा 2 की उपधारा (34) रेल सेवक से रेल सेवा के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी रेल प्रशासन द्वारा नियोजित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, (इसमें रेल सुरक्षा बल अधिनियम 1957 (1957 का 23) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (स) के अन्तर्गत नियुक्त रेल सुरक्षा बल के सदस्य सम्मिलित है।)

(ii) किसी संविदा के तहत यदि कार्य करते समय दुर्घटनाग्रस्त होने पर मजदूर को प्रतिकर देने की जिम्मेदारी उस नियोक्ता की होगी जिसके नियोजन में वह कार्य कर रहा था । (रेलवे में ठेकेदार द्वारा प्रतिकर दिया जाना चाहिये, परन्तु यदि वह ऐसा नहीं करता है तो , रेलवे द्वारा प्रतिकर राशि का भुगतान किया जायेगा व वह राशि ठेकेदार से वसूल कर ली जायेगी।)

3- प्रतिकर के लिए नियोजन का दायित्व (Employer's liability for compensation)

1- यदि कर्मचारी को अपने नियोजन से और उनके अनुक्रम में (Arising out of and in the course of his employment) दुर्घटना द्वारा वैयक्तिक क्षति कारित होती है तो उसका नियोजक इस अधिनियम के अनुसार प्रतिकर का देनदार होगा।

परन्तु निम्न अवस्थाओं में नियोजक का कोई दायित्व नहीं होगा–

(क) किसी ऐसी क्षति के बारे में जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी को तीन दिन से अधिक की कालावधि के लिए पूर्ण या आंशिक निःशक्तता नहीं रहती।

(ख) दुर्घटना द्वारा हुई किसी क्षति के बारे में, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु या स्थायी रूप से पूर्णरूपेण अशक्तता नहीं हुई है और जो प्रत्यक्षतः इस कारण से हुई मानी जा सकती हो–

(i) उसके होने के समय कर्मकार पर मदिरा या औषधियों का असर था अथवा

(ii) कर्मकार की संरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्त रूप से दिए गए किसी नियम की अवज्ञा कर्मचारी द्वारा जानबूझकर की गई थी, अथवा

(iii) कोई ऐसा रक्षा सम्बन्धी उपाय या अन्य युक्ति जिसके बारे मे वह जानता था कि वह कर्मचारी की संरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयोजन से उपबन्धित की गई है, कर्मचारी द्वारा जानबूझकर हटाई गई थी या उसकी अवहेलना की गई थी।

2- यदि अनुसूची 3 के भाग क में विनिर्दिष्ट किसी नियोजन में नियोजित कर्मचारी को कोई ऐसा रोग लग जाता है कि उस नियोजन में विशिष्टतः होने वाले उपजीविकाजन्य रोग (Occupational disease peculiar to that employment) के रूप में उस भाग में विनिर्दिष्ट है या जिस नियोजक की सेवा में कर्मचारी अनुसूची 3 के भाग ख में विनिर्दिष्ट किसी नियोजन में छह मास की निरन्तर कालावधि के लिए (जिस कालावधि में) किसी अन्य नियोजिक के अधीन उसी ढंग के नियोजन मे सेवा की कालावधि सम्मिलित नहीं होगी, नियोजित रहा है और उस नियोजक की सेवा में रहने के समय यदि उसे कोई ऐसा रोग लग जाता है जो उस नियोजन में विशिष्टतः होने वाले उपजहीविकाजन्य रोग के रूप मे उस भाग में विनिर्दिष्ट है। या अनुसूची 3 के भाग ग में विनिर्दिष्ट किसी नियोजन में कर्मचारी को एक या अधिक नियोजनों की सेवा में ऐसी निरन्तर कालावधि के लिए जैसे ऐसे हर एक नियोजन के बारे में केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करें, रहने के समय यदि कोई ऐसा रोग लग जाता है जो उस नियोजन में विशिष्टतः होने वाले उपजीविकाजन्य रोग मे उस भाग में विनिर्दिष्ट है तो उस रोग के लगने के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस धारा के अर्थ के अंदर दुर्घटना द्वारा हुई क्षति है और जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित नहीं (Unless the contrary is proved) कर दिया जाता तब तक दुर्घटना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह उस नियोजन से और उसके अनुक्रम में उद्भूत/घटित हुई है।

परन्तु यदि यह साबित हो जाता है कि –

(क) किसी कर्मचारी को अनुसूची 3 के भाग ग में विनिर्दिष्ट किसी नियोजन में एक या अधिक नियोजकों की सेवा में रहने के समय कोई ऐसा रोग, जो उस नियोजन में विशिष्टतः होने वाले उपजीविकाजन्य रोग के रूप में उस भाग में विनिर्दिष्ट है, ऐसी निरन्तर कालावधि के दौरान लग गया है जो उस नियोजन के लिए इस उपधारा के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि से कम है तथा

(ख) वह रोग उस नियोजन से और उसके अनुक्रम में उद्भूत हुआ है, तो ऐसे रोग के लगने के बारे मे यह समझा जाएगा कि वह इस धारा के अर्थ के अंदर दुर्घटना द्वारा हुई क्षति है।

परन्तु यह भी साबित हो जाता है कि कोई कर्मचारी जिसने अनुसूची 3 के भाग ख में विनिर्दिष्ट किसी नियोजन में किसी नियोजक के अधीन या उस अनुसूची के भाग ग में विनिर्दिष्ट किसी नियोजन में एक या अधिक नियोजकों के अधीन उस नियोजन के लिए इस उपधारा के अधीन विनिर्दिष्ट निरन्तर कालावधि के लिए सेवा की है और उस ऐसी सेवा की समाप्ति के पश्चात कोई ऐसा रोग लग गया है जो उस नियोजन में विशिष्टतः होने वाले उपजीविकाजन्य रोग के रूप में ,यथास्थिति (As the case may be) उक्त भाग ख या उक्त भाग ग में विनिर्दिष्ट है और यह कि ऐसा रोग उस नियोजन से उद्भूत हुआ था तो उस रोग के लगने के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस धारा के अर्थ के अंदर दुघर्टना द्वारा हुई क्षति है।

(2क) यदि अनुसूची 3 के भाग ग में विनिर्दिष्ट किसी नियोजन में नियोजित किसी कर्मचारी को उस नियोजन में विशिष्टतः होने वाला कोई ऐसा उपजीविकाजन्य रोग लग जाता है जिसके लगने के बारे में यह समझा जाता है कि वह इस धारा के अर्थ के अंदर दुर्घटना द्वारा हुई क्षति है और ऐसा नियोजन

एक से अधिक नियोजकों के अधीन था तो ऐसे सब नियोजक प्रतिकर का ऐसे अनुपात में संदाय करने के दायी होंगे जैसा आयुक्त उन परिस्थितियों में न्यायसंगत समझे।

4- प्रतिकर की रकमः– (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन प्रतिकर की रकम निम्नलिखित होगी अर्थात –

(क) मृत्यु के मामले में – यदि किसी कर्मचारी की कार्य के दौरान घटित दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु हो जाती है तो कर्मकार के मासिक वेतन का 50 प्रतिशत गुणा आयु गुणाक अथवा 120,000 जो भी अधिक हो भुगतान किया जायेगा।

सूत्र = मासिक वेतन x $\frac{50}{100}$ x आयु गुणक = न्यूनतम 120,000/– रू या जो भी अधिक हो

(RBE No 61/2011 Letter Dated 11.05.2011)

(ख) स्थायी पूर्ण अशक्तता (Permanent total disablement): यदि किसी कर्मचारी की काम के दौरान घटित दुघर्टना के फलस्वरूप स्थायी पूर्ण अशक्तता (अर्थात उपार्जन क्षमता में 100% कमी) हो जाती है तो मुआवजे की राशि निम्न प्रकार दी जायेगी –

मासिक वेतन x $\frac{60}{100}$ x आयु गुणक = न्यूनतम 140,000/– रू या जो भी अधिक हो

(RBE No 61/2011 Letter Dated 11.05.2011)

(ग) स्थायी आंशिक अशक्तता (Permanent Partial Disablement): किसी कर्मचारी की काम के दौरान घटित दुर्घटना के फलस्वरूप स्थायी आंशिक अशक्तता होने पर अनुसूची–1 के भाग–ाा में दर्शायी उपार्जन क्षमता में कमी के प्रतिशत के अनुसार मुआवजा दिया जायेगा। यदि किसी दुर्घटना के दौरान कई चोट आती है तो गणना हेतु सभी मिलकर 100% से अधिक नहीं मानी जायेगी। मुआवजे हेतु चोट की क्षति से उपार्जन की क्षमता में कमी का आंकलन चिकित्सा अधिकारी द्वारा निश्चित किया जायेगा।

सूत्र = कर्मचारी का मासिक औसत वेतन x $\frac{60}{100}$ x आयु गुणक x क्षति का प्रतिशत

जहॉ किसी कर्मचारी की मासिक मजदूरी आठ हजार रूपये से अधिक है, वहॉ खण्ड (क)(ख) और खण्ड (ग) के प्रयोजनों के लिए उसकी मासिक मजदूरी केवल आठ हजार रूपये समझी जाएगी।

(भारत सरकार असाधारण राजपत्र दिनांक 31/5/2010)

अस्थायी अशक्तता (Temporary Disablement): यदि किसी कर्मचारी की कार्य के दौरान घटित दुर्घटना के फलस्वरूप पूर्ण अथवा आंशिक अस्थायी अशक्तता हो जाती है तो मुआवजे का भुगतान निम्न प्रकार से किया जायेगा –

(1) यदि क्षति तीन दिन से कम रहे तो कोई मुआवजा देय नहीं होगा।

(2) यदि क्षति 28 दिन से कम रहे तो तीन दिन की प्रतीक्षा कालावधि को छोड़कर 16वें दिन से भुगतान किया जायेगा।

(3) यदि क्षति 28 दिन से अधिक रहती है तो चोट लगने की तिथि से पॉच वर्ष तक देय है।

(RBE No E(LL)98/AT/WC/ATWC/1-2 Dt. 28/1/97 (NR PS 11357)

(घ) जहॉ कि क्षति के परिणामस्वरूप ,चाहे पूर्ण चाहे आंशिक अस्थायी निःशक्तता हो जाती है– कर्मकार की मासिक मजदूरी के पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य रकम का अर्द्ध मासिक भुगतान जाएगा।

किन्तु अस्थायी अशक्तता के मामले में रेल प्रशासन अपने कर्मचारी को उदारीकृत छुट्टी नियमों के अन्तर्गत पूर्ण दर पर अस्पताली अवकाश प्रदान कर भुगतान करता है, ऐसी स्थिति में कर्मचारी के अस्पताली अवकाश पंजिका में दो लेखा शीर्ष दर्शाये जाने चाहिये।

(i) अर्द्ध मासिक मुआवजा प्रतिकर (ii) अस्पताली अवकाश की छुट्टी वेतन शीर्ष

(RBE No (F&A)1-89/JCM/DC Dt. 14/1/93 (NR PS 10792)

(1क) भारतवर्ष के बाहर हुई दुर्घटना के संदर्भ में एक कर्मचारी को देय प्रतिकर की धनराशि को नियत करते समय इस नियम उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी आयुक्त ,प्रतिकर की उस

धनराशि को भी हिसाब में लेगा जो किसी अन्य देश के कानून के अनुसार ऐसे कर्मचारी को प्रदान की गयी हो तथा वह राशि नियत की गयी प्रतिकर धनराशि में से कम करेगें।

4(अ) यदि क्षति से कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो नियोजक देय प्रतिकर के अतिरिक्त कर्मकार अत्येष्ठि के खर्च के लिए कर्मकार के जीवित सबसे बड़े आश्रित को देने हेतु पॉच हजार 5000/- आयुक्त के पास जमा करवायेगा।

4(ब) देय होने पर प्रतिकर का दिया जाना और विलम्ब /त्रुटि के लिए शास्ति –

(1) इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन प्रतिकर देय होते ही दे दिया जाना चाहिये।

(2) क्षतिपूर्ति हेतु जितना दावा किया गया है वह स्वीकार न करने की अवस्था में नियोक्ता का यह दायित्व होगा कि जितनी क्षतिपूर्ति राशि वह स्वीकार करता है वह आयुक्त के पास जमा करावे। यह कर्मचारी के दावे पर प्रतिकूल असर डाले बिना होगी जो कि बाद में अन्तिम तौर पर नियमानुसार निर्धारित किया जाना है।

(3) जहॉ कोई भी नियोजक, क्षतिपूर्ति देय होने की तिथि से एक महिन के अंदर इसका भुगतान नहीं करता है तो आयुक्त –

(क) निर्देश देगा कि नियोजक बकाया धनराशि के साथ–साथ बारह प्रतिशत की दर से उसपर या केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी भी अनुसूचित बैंक की उधार देने वाली दरों के अधिकतम से अधिक न होने वाली ऐसी उच्चतर दर से साधारण ब्याज का भुगतान भी करेगा, और

(ख) यदि उसकी राय में विलम्ब का कोई न्यायोचित कारण नहीं है तो यह निर्देशित करेगा कि नियोजक बकाया धनराशि के साथ–साथ उस पर जुर्माने भी अदा करे जो कि ऐसी धनराशि के पचास प्रतिशत अधिक नहीं होगा।

परन्तु शास्ति सम्बन्धी आदेश, कारण बताने के लिए नियोजक को युक्तियुक्त अवसर प्रदान किये बिना पारित नहीं किया जायेगा।

5- मजदूरी का हिसाब करने की पद्धति :– मासिक मजदूरी से तात्पर्य एक मास की सेवा के लिए संदेय (Deemed) समझी जाने वाली मजदूरी की रकम से अभिप्रेत है (चाहे वह मजदूरी मास के हिसाब से या किसी भी अन्य कालावधि के हिसाब से संदेय हो) और जिसका हिसाब निम्नलिखित रूप से किया जाएगा, अर्थात

(क) जहॉ कि कर्मचारी उस नियोजक की, जो प्रतिकर का देनदार है, सेवा में दुर्घटना से ठीक पहले के बारह मास के अन्यून की निरन्तर कालावधि के दौरान रहा है, वहॉ कर्मकार की मासिक मजदूरी उस कुल मजदूरी का बारहवा भाग होगी, जो उस कालावधि के अन्तिम बारह मासों में नियोजक द्वारा उसे संदाय के लिए शोध्य (Deemed to be Payable) हो गई है।

(ख) जहाँ कि दुर्घटना से ठीक पहले की उस सेवा का सम्पूर्ण निरन्तर कालावधि (Whole Continnuos Period of Service) उस नियोजक की सेवा में था जो प्रतिकर का देनदार है, एक मास से कम थी, वहॉ कर्मचारी की मासिक मजदूरी वह औसत मासिक रकम होगी जिसे उसी नियोजक द्वारा उसी काम में नियोजित कोई अन्य कर्मचारी , या यदि कोई कर्मचारी इस प्रकार नियोजित नहीं था, तो उसी परिक्षैत्र (Same Locality) में किसी वैसे ही काम में नियोजित कोई अन्य कर्मचारी दुर्घटना से ठीक पहले के बारह मास के दौरान उपार्जित कर रहा था।

(ग) अन्य दशाओं में जिनके अन्तर्गत वे दशाऐं आती है, जिनमें कि आवश्यक जानकारी के अभाव में ऊपर खण्ड (ख) के अधीन दर्शायी मासिक मजदूरी का हिसाब करना सम्भव नहीं है। ऐसी अवस्था में मासिक मजदूरी उस नियोजक से, जो प्रतिकर का देनदार है, दुर्घटना से ठीक पहले की सेवा की अन्तिम निरन्तर कालावधि के लिए उपार्जित (Earned) कुल मजदूरी को ऐसी कालावधि में समाविष्ट दिनों की संख्या में विभाजित करने पर प्राप्त भजनफल की तीस गुनी होगी।

(The monthly wages shall be thirty times the total wages earned in respect of the last continuous period of service devided by the number of days comprising such period)

स्पष्टीकरण – सेवा की ऐसी अवधि जिसमें काम पर से चौदह दिन से अधिक की अनुपस्थिति कालावधि के लिए विच्छेद (Interruption) नहीं हुआ है, इस धारा के प्रयोजनों के लिए निरन्तर कालावधि समझी जाएगी।

1- प्रतिकर का वितरण – (1) किसी ऐसे कर्मचारी के बारे मे, जिनकी मृत्यु क्षति के परिणामस्वरूप हो गई है, प्रतिकर का कोई भी भुगतान और किसी स्त्री को या विधिक निर्योग्यता के अधीन व्यक्ति को प्रतिकर के रूप में एक मुश्त राशि का कोई भी भुगतान आयुक्त के पास जमा करने से अन्यथा नहीं किया जाएगा और सीधे नियोजक द्वारा कर दिये गए किसी ऐसे भुगतान के बारे में यह न समझा जाएगा कि वह प्रतिकर का भुगतान है।

2- प्रतिकर का समनुदिष्ट, कुर्क या भारित न किया जाना (Compensation not to be assigned attached or charged)

इस अधिनियम के अधीन देय कोई भी एकमुश्त राशि या अर्द्धमासिक देय राशि इस अधिनियम द्वारा यथ उपबंधित के सिवाय किसी भी प्रकार समनुदिष्ट (Assigned) या भारित (Charged) किए जाने के योग्य या कुर्की के दायित्व के अधीन नहीं होगा और न कर्मकार के भिन्न किसी व्यक्ति को विधि की क्रिया द्वारा सक्रांत (Pass) होगा और न कोई दावा उसके विरूद्ध मुजरा (Set off) किया जाएगा।

3- प्राणांतक दुर्घटनाओं और गम्भीर शारीरिक क्षतियों की रिपोर्ट :–

जहॉ कि किसी तत्समय प्रचलित विधि द्वारा यह अपेक्षित है कि नियोजक के परिसर में घटित किसी ऐसी दुर्घटना की, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु या गम्भीर क्षति हो गई है, सूचना किसी प्राधिकारी को नियोजक द्वारा या उसकी ओर से दी जाए वहॉ वह व्यक्ति जो सूचना देने के लिए अपेक्षितहै, मृत्यु या गम्भीर शारीरिक क्षति के सात दिन भीतर आयुक्त को एक रिपोर्ट भेजेगा जिसमें वे परिस्थितियॉ बताई जाएगी जिनमें मृत्यु या गम्भीर शारीरिक क्षति हुई है।

18 क शास्तियॉ

(1) जो कोई –

(क) वह सूचना– पुस्तक रखने में असफल रहेगा जिसे रखने के लिए वह धारा10 की उपधारा (3) के अधीन अपेक्षित है, अथवा

(ख) आयुक्त को वह विवरण भेजने में असफल रहेगा जिसे रखने के लिए वह धारा10क की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित है, अथवा

(ग) वह रिपोर्ट भेजने में असफल रहेगा जिसे भेजने के लिए वह धारा 10 ख के अधीन अपेक्षित है, अथवा

(घ) वह विवरणी देने में असफल रहेगा जिसे देने के लिए वह धारा 16 के अधीन अपेक्षित है तो वह जुर्माने से, जो पॉच हजार रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(2) इस धारा के अधीन कोई भी अभियोजन (Prosecution) आयुक्त के द्वारा या उसकी पूर्व मंजूरी से स्थित किए जाने के सिवाय, संस्थित (Instituted) नहीं किया जाएगा, और कोई भी न्यायालय इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान (Cognizance) तब तक नहीं करेगा जब तक कि अपराध के लिए परिवाद उस तारीख से छह मास के भीतर नहीं किया जाता जिस तारीख को अभिकथित अपराध का किया जाना आयुक्त को ज्ञात हुआ था।

आयुक्त : आयुक्तों को निर्देश –

1. यदि प्रतिकर देने के किसी व्यक्ति के दायित्व के विषय में कोई प्रश्न (जिसके अन्तर्गत यह प्रश्न आता है कि क्षत व्यक्ति कर्मचारीहै या नहीं) या प्रतिकर की रकम या अवधि के विषय में कोई प्रश्न (जिसके अन्तर्गत निःशक्तता के प्रकार या विस्तार विषयक प्रश्न आता है) इस अधिनियम के अधीन की किन्हीं कार्यवाहियों में उठता है तो वह प्रश्न करार के अभाव में आयुक्त द्वारा तय किया जाएगा।
2. किसी भी सिविल न्यायालय को किसी ऐसे प्रश्न को जिसके लिए इस अधिनियम के द्वारा या अधीन यह अपेक्षित है कि वह आयुक्त द्वारा तय किया जाए या विनिश्चिय किया जाए या उसके बारे में कार्यवाही आयुक्त द्वारा की जाए तय करने, विनिश्चिय करने या उसके बारे में कार्रवाई करने की या इस अधिनियम के अधीन उपगत किसी दायित्व को प्रवर्तित कराने की अधिकारिता न होगी।

कार्यवाहियों का स्थान और अंतरण (Venue of Proceedings and Transfer) :

1. जहॉ इस अधिनियम के अधीन किसी भी मुद्दे का निस्तारण एक आयुक्त के समक्ष या द्वारा किया जाना होता है, वहॉ इस अधिनियम के उपबन्धों एवं इसके अधीन निर्मित किसी भी नियमों के विषय का निस्तारण उस क्षैत्र के लिए आयुक्त के समक्ष या द्वारा किया जायेगा जिसमें :–

(क) दुर्घटना हुई जिससे क्षति हुई या

(ख) कर्मचारी या उसके मृत्यु के मामलें में साधारण तौर पर प्रतिकर का दावा करने वाला आश्रित निवास करता है या

(ग) नियोजक का अपना रजिस्टर्ड कार्यालय होता है।

अपीले : (1) आयुक्त के आदेशों विरूद्ध अपील उच्च न्यायालय में होगी।

अनुसूची–इस अधिनियम के अन्तर्गत अशक्तता के फलस्वरूप उपार्जन क्षमता में कमी, कर्मचारी की परिभाषा, उपजीविकाजन्य रोग व मुआवजें की राशि हेतु आयु गुणक निर्धारण हेतु निम्न अनुसूचियॉ बनायी गयी है।

अनुसूची–I	पार्ट–ा	स्थायी पूर्ण अशक्तता (PTD)

	पार्ट–II	स्थायी आंशिक अशक्तता (PPD)
अनुसूची–II	–	कर्मचारी की परिभाषा
अनुसूची–III	–	उपजीविकाजन्य रोगों की सूची (List of Occupational Diseases)
अनुसूची–IV	–	आयु गुणक (Age Factor) जिससे मुआवजे की राशि की गणना की जाए

दुर्घटना के समय पर्यवेक्षक का कर्त्तव्य (Duty of Superviser in Case of Injury):
कार्य के दौरान अथवा रोजगार के सिलसिले में कर्मचारी की दुर्घटना के फलस्वरूप व्यक्तिगत क्षति होती है तो एक पर्यवेक्षक के निमन कर्तव्य होगें –

1- कर्मचारी की प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करवाते हुए चिकित्सक को बुलायेगें।
2- 48 घंटों के भीतर सभी संबंधितों को सूचना देगें।
3- दो चश्मदीद गवाहों के बयान/विवरण लेगें, जहॉ तक सम्भव है।
4- दुर्घटना का रेखाचित्र व सम्पूर्ण रिपोर्ट तैयार करेंगे।
5- पिछले बारह माह के दौरान उस कर्मकार के आय के विवरण, अवकाश सहित तैयार करवायेगें।
6- क्षतिग्रस्त कर्मचारी की चिकित्सा रिपोर्ट प्राप्त करेगें।
7- दुर्घटना की पूर्ण जॉच करवायेंगें।

नोट – RBE No B(LL)99/AT/WC Dt. 12/3/99 के तहत Notional Extension of Duty के मामलों का स्पष्टीकरण व विवरण दिया गया है। रेल कार्य के दौरान किसी रेल कर्मचारी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर उसकी विधवा/परिवार के योग्य सदस्य को अनुग्रह राशि का (Ex-Gratia) का भुगतान निम्न प्रकार किया जायेगा :– (RBE 285/99, 136/08,4/11)

1.	रेल कार्य करते समय दुर्घटना में मृत्यु के मामले में	रू. 10 लाख
2.	रेल कार्य करते समय आंतकी हिंसा या असामाजिक तत्वों द्वारा हिंसा के कारण मृत्यु होने पर,	रू. 10 लाख
3.	यदि मृत्यु का कारण	
	a पड़ौसी देश से लड़ाई (War) या देश की सीमा पर मुठभेड़	रू. 15 लाख
	b युद्ध के दौरान आंतकी हमला, उग्रवादी हमला	
4.	मृत्यु कार्य के दौरान– सीमा पर दुश्मन चौकी द्वारा हमला, प्राकृतिक आपदा व अत्यन्त खराब मौसम के कारण होने पर	रू. 15 लाख
5.	एक मुश्त (Lump-Sum) अनुग्रह की कोई अधिकतम सीमा (Ceilling Limit) नहीं होगी।	
	(RBE 04/11 & 146/11)	
	यह आदेश 1/1/2006 के बाद उपरोक्त कारणों से मृत्यु के मामलों में ही लागू होगें।	
6.	प्रतिकर के रूप में अनुग्रह राशि की स्वीकृत हेतु महाप्रबन्धक सक्षम है। (RBE 285/99 & 31/09)	
7.	प्रतिकर के रूप में अनुग्रह राशि के मामलों का निष्पादन 03 माह में किया जाना चाहिये।	
	(RB's Letter No E(W)2008/CP-1/1 Dt. 10/6/2008) P.No 313 of RBO-99)	
8.	प्रतिकर के रूप में अनुग्रह राशि का प्रस्ताव वि.सं. व मु.ले.अ. (FA&CAO) को निम्न दस्तावेजों के साथ भेजना चाहिये –	
	(क) प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति	
	(ख) कर्मचारी की मृत्यु सूचना	
	(ग) पोस्टमार्टम रिपोर्ट (RB's Letter No W/2000/CP/1/4 Dt. 6/12/2000)	
9.	अनुग्रह राशि के तत्काल भुगतान हेतु यह ECS के माध्यम से किया जायेगा तथा कुछ विशेष मामलों में जहॉ यह सम्भव नहीं हो वहॉ चैक के माध्यम से यह भुगतान होगा। (RBA 33/10)	
10	अनुग्रह राशि पर आयकर नहीं लगेगा। (RBE 152/10)	

कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति भुगतान प्रक्रिया

1- दुर्घटना की अवस्था में संबंधित कर्मचारी को तुरन्त मेडिकल सहायता उपलब्ध करवायी जानी चाहिये तथा अधिकृत चिकित्सा अधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिये साथ ही दुर्घटना कारित होते ही निर्धारित प्रफोर्मा WCA-4 फार्म नम्बर 20 में वाँछित सूचना भरी जानी चाहिये।

2- निर्धारित फार्म में सही व पूर्ण सूचना भरी जानी चाहिये साथ ही जहॉ तक सम्भव हो दुर्घटना स्थल पर ही गवाहों के बयान भी लिये जाने चाहिये।

3- शाखा अधिकारी द्वारा घायल कर्मचारी को शीघ्र मेडिकल सहायता उपलब्धता सम्बन्धी व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिये तथा WCA-4 फार्म नम्बर 20 नहीं भरा गया है तो भरवाना चाहिये। गम्भीर दुर्घटना के मामले में संबंधित स्थानीय पुलिस मं एफआईआर दर्ज की जानी चाहिये और अगर 24 घण्टे के भीतर ऐसी एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो इसकी सूचना अधिकारी स्तर पर दी जानी चाहिये साथ ही इस घटना सम्बन्धी सूचना संबंधितों को भिजवाई जानी चाहिये जिसमें दुर्घटना स्थल का नक्शा, दुर्घटना सम्बन्धी संक्षिप्त जानकारी सम्मिलित हो तथा समुचित संख्या में गवाहों आदि के बयान 24 घंटे के भीतर ले लिये जाने चाहिये। दुर्घटना में मृत्यु के मामले में पोस्टमार्टम करवाकर उसकी रिपोर्ट प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में खण्ड कल्याण निरीक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। दुर्घटना कारित होने के 15 दिन के भीतर इस सम्बन्धी जॉच पूर्ण हो जानी चाहिये।

4- घायल कर्मचारी सम्बन्धी जानकारी जैसे समय,स्थान तथा ड्यूटी घण्टे/रोस्टर इत्यादि के साथ ही दुर्घटना के कारणों का संक्षिप्त विवरण स्पष्ट रूप से रिकार्ड कर लिया जाना चाहिये साथ ही इस सम्बन्धी पूर्ण सूचना निर्धारित प्रफोर्मा में दुर्घटना के दिन ही भर ली जानी चाहिये।

5- संबंधित विभाग तथा कार्मिक विभाग में इस सम्बन्धी रजिस्टर खोला जाना चाहिये, जिसमें ऐसे मामलों सम्बन्धी पूर्ण जानकारी रहेगी तथा संबंधित सभी मामले इसमें दर्ज किए जायेगें। कार्मिक शाखा का रजिस्टर कल्याण सम्बन्धी मामले देखने वाले सहायक कार्मिक अधिकारी के पास रहेगा जिसमें संबंधित सभी प्रविष्टियॉ दुर्घटना के तीन दिन के भीतर–भीतर कर दी जानी चाहिये।

6- हित निरीक्षक द्वारा वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी को मासिक तौर पर दिये जाने वाले पीसीडीओ में ऐसी सभी दुर्घटनाओं सम्बन्धी सूचना दी जायेगी जिसमं अस्पताली छुट्टी स्वीकृति की जानी है या क्षतिपूर्ति भुगतान किया जाना है, विशेष रूप से मृत्यु के मामले में आईओडी के ऐसे मामले जिनके निष्पादन में अत्यधिक विलम्ब हो रहा है, वहॉ कार्मिक अधिकारी/कार्यरत इंचार्ज द्वारा मंडल रेल प्रबन्धक/यूनिट प्रधान के संज्ञान में लाया जाना चाहिये। ऐसे मामलों मे क्षतिपूर्ति भुगतान हेतु कार्मिक शाखा की सामंजस्य सम्बन्धी मुख्य भूमिका रहेगी। (Kay Roll of Co-Ordination)

7- संबंधित हित /कार्मिक निरीक्षक मामलों को अन्तिम भुगतान (Ex Gratia भुगतान सहित) होने तक निगरानी में रखेंगे व चेज करेगें तथा मामले की प्रगति से संबंधित अधिकारी को नियमित रूप से अवगत करवाएगें।

8- संबंधित कर्मचारी को वांछित मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवायी जानी चाहिये तथा किसी भी कठिनाई की अवस्था में हित निरीक्षक द्वारा मंडल रेल प्रबन्धक/यूनिट प्रधान की जानकारी में मामला लाया जाना चाहिये।

9- क्षतिपूर्ति भुगतान की गणना निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप कर्मचारी के वेतन की सीलिंग लिमिट तथा न्यूनतम क्षतिपूर्ति भुगतान को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिये, साथ ही कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 2009 के पैरा 4 (4) के तहत भुगतान तथा दाहसंस्कार सम्बन्धी भुगतान भीसुनिश्चित किया जाना चाहिये।

10- जहॉ वांछित हो वहॉ अस्पतालीय छुट्टी स्वीकृत कराने सम्बन्धी कार्यवाही दुर्घटना के एक सप्ताह के भीतर–भीतर सुनिश्चित की जानी चाहिये तथा यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि भुगतान निर्धारित शैडयूल के अनुसार हो।

11- एक्स ग्रेसिया भुगतान– संबंधित कर्मचारी के योग्य उत्तराधिकारी (Next of Kin) को एक्स ग्रेसिया भुगतान की मंडल रेल प्रबन्धक/मुख्य कारखाना प्रबन्धक से स्वीकृति सम्बन्धी कार्यवाही मृत्यु तिथि से 30 दिन के भीतर–भीतर पूर्ण कर ली जानी चाहिये तद्पश्चात मामला कार्मिक अधिकारी द्वारा महाप्रबन्धक की स्वीकृति हेतु मुख्यालय भेजा जायेगा।

12- इस संबंधी सभी मामलों की सूचना संबंधितकार्मिक अधिकारी को प्रत्येक 15 दिन में प्रस्तुत की जानी चाहिये। (संदर्भ GM(P)NWR L.No 999-E/o/W.C.Act/33Dt. 21/7/2015)

13- एक मुश्त एक्स ग्रेसिया भुगतान के सम्बन्ध में अवधि निर्धारण इत्यादि हेतु संयुक्त प्रक्रिया आदेश उत्तर पश्चिम रेलवे हेतु जारी किया गया। (GM(P)NWR L.450E/Ex-Gratia/Position Dt. 20/10/2015)